

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/से0नि0/पार्ट-2/2017/

दिनांक:

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.स.	कर्मचारी का नाम व पद	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	रोवानिवृत्ति तिथि
1.	विजय प्रकाश कौर नर्स-2	मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जयपुर-11	19.11.57	30.11.2017
2.	शांता सेन, एलएचवी	मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, चित्तौडगढ	04.11.57	30.11.17
3.	सोदामिनि अम्मा ऐ एलएचवी	मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, बांसवाडा	06.11.57	30.11.17

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/से0नि0/पार्ट-2/2017/ 657

दिनांक: 6/9/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-11 / चित्तौडगढ / बांसवाडा ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगानेर (जयपुर-11) / बेंगू (चित्तौडगढ) / परतापुर (बांसवाडा) ।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगार (चित्तौडगढ)।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर